

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2023/920-55 जयपुर,दिनांक: 13.06.2023

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद द्वारा राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 17.01.2023 से रबी फसल सम्वत 2079 (वर्ष 2022-23) में कराई गई पाला-शीतलहर की विशेष गिरदावरी की राज्य के समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित 09 जिलों के संलग्न सूची के अनुसार 5225 गांवों में कृषकों की फसलों में पाला-शीतलहर से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 जुलाई, 2023 तक लागू रहेंगे (जिला अलवर की तहसील थानागाजी के 08 गांवों यथा कोलाकावास, बीसाकावास, बाढ़डोली, तिबारा, बसईजोगियान, बाढ़गूजरान, अम्बेडकरबास व सुरजपुर को ओलावृष्टि से फसल खराबे में सम्मिलित कर लेने के कारण अलवर के कुल 441 गांवों में से 433 गांवों को) साथ ही जिला अलवर, श्रीगंगानगर व सीकर के व्यक्तिगत कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	अभावग्रस्त गांवों की संख्या
1	अलवर	433
2	बीकानेर	589
3	भरतपुर	02
4	श्रीगंगानगर	336
5	जयपुर	769
6	जोधपुर	568
7	झुन्झुनु	969
8	नागौर	443
9	सीकर	1116
कुल योग:-		5225

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.सी. किशन)

शासन सचिव

(1)

.....लगातार.....